स्पेशल रिपोर्ट: राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (Directive Principles of State Policy- DPSP) का उद्देश्य जनता के लिये सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है।

भारतीय संविधान के निर्माता इस तथ्य से अवगत थे कि एक स्वतंत्र भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। लगभग 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के बाद, देश व्यापक गरीबी, भुखमरी और गहरी सामाजिक-आर्थिक असमानताओं से बचा हुआ था।

- संविधान के निर्माताओं ने महसूस किया कि इन समस्याओं से निपटने के लिये देश के शासन के लिये विशिष्ट नीति निर्देश, दिशा-निर्देश या निर्देश आवश्यक थे।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत (DPSP) क्या हैं?

संवैधानिक प्रावधान:

- भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में DPSP शामिल है।
- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 निर्देशक सिद्धांतों के अनुप्रयोग के बारे में बताता है।

पृष्ठभूमि:

- भारतीय संविधान में निहित निर्देशक सिद्धांत आयरिश संविधान से लिये गए हैं। हालाँकि आयरिश ने स्वयं स्पेन के संविधान से यह विचार लिया था।
- ऐसी नीतियों के विचार को मानव अधिकारों की घोषणा और अमेरिकी उपनिवेशों द्वारा स्वतंत्रता की घोषणाओं के साथ-साथ सर्वोदय की गांधीवादी अवधारणा में देखा जा सकता है।
- वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम में निर्देश के साधन के रूप में इसी तरह के दिशा-निर्देश प्रदान किये गए थे।

उद्देश्य:

- **नियंत्रण और संतुलन:** विधानमंडलों और अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे DPSP के अनुसार अपने अधिकारों का प्रयोग करें। इसलिये, निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक न्याय के उद्देश्य से, जो संविधान के निर्माताओं के अनुसार भारतीय राज्य को प्रयास करना चाहिये।
  - वे इन विचारों के अनुरूप अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिये भारत के विधायिकाओं, अधिकारियों और प्रशासकों के लिये एक आचार संहिता निर्धारित करते हैं।
- **कानूनी कार्रवाइयाँ और सरकारी नीतियाँ:** निर्देशक सिद्धांत लोगों की आकांक्षाओं और आदर्शों को शामिल करते हैं जिन्हें केंद्र और राज्य सरकारों को विधि और नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिये।
- **सामाजिक न्याय का दर्शन:** निर्देशक सिद्धांत संविधान के जीवनदायी प्रावधान हैं। वे भारत के संविधान में शामिल सामाजिक न्याय के दर्शन का प्रतिनिधित्व करते हैं, हालांकि ये किसी भी अदालत द्वारा कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, फिर भी वे देश में शासन हेतु मौलिक अवधारणा प्रदान करते हैं।

विभिन्न निर्देशक सिद्धांत क्या हैं?

निर्देशक सिद्धांतों को उनके वैचारिक स्रोत और उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है:

1. समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित:

- **अनुच्छेद 38:** राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके और आय की स्थिति सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 39:** राज्य विशेष रूप से अपनी नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में निर्देशित करेगा

    - सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार
    - भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को इस तरह से व्यवस्थित किया जाएगा कि वह सामान्य भलाई हेतु उपयोग में आ सके।
    - राज्य को कुछ हाथों में धन के संकेन्द्रण को बचाना चाहिये
    - पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिये समान काम के लिये समान वेतन
    - श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा
    - बाल्यावस्था और किशोरावस्था का शोषण न हो
- **अनुच्छेद 41:** यह कार्य करने, शिक्षा पाने और बेरोज़गारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामले में सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुरक्षित करने के बारे में बात करता है।
- **अनुच्छेद 42:** राज्य कार्य की उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित करने और मातृत्व राहत के लिये प्रावधान करेगा।
- **अनुच्छेद 43:** राज्य सभी श्रमिकों को एक जीवन निर्वाह योग्य मज़दूरी और उचित जीवन स्तर सुरक्षित करने का प्रयास करेगा
- **अनुच्छेद 43A:** राज्य उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाएगा
- **अनुच्छेद 47:** सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये पोषण के स्तर और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना

2. गांधीवादी सिद्धांतों के आधार पर:

- **अनुच्छेद 40:** राज्य ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिये कदम उठाएगा।
- **अनुच्छेद 43:** राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 43B:** यह सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
- **अनुच्छेद 46:** राज्य जनता के कमज़ोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य कमज़ोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा।
- **अनुच्छेद 47:** राज्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये कदम उठाएगा और इस दौरान स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नशीले पेय और दवाओं के सेवन पर रोक लगाएगा
- **अनुच्छेद 48:** गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाने और उनकी नस्लों में सुधार करने के लिये प्रयास करेगा।

3. उदार बौद्धिक सिद्धांतों पर आधारित:

- **अनुच्छेद 44:** राज्य भारत के क्षेत्र के माध्यम से नागरिकों के लिये एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा।
- **अनुच्छेद 45:** यह छह वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिये बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित है।
- **अनुच्छेद 48:** यह आधुनिक और वैज्ञानिक तर्ज पर कृषि और पशुपालन को व्यवस्थित करने पर केंद्रित है।
- **अनुच्छेद 48A:** इसका उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना और देश के वन और वन्य जीवन की रक्षा करना है।
- **अनुच्छेद 49:** राज्य हर स्मारक, कलात्मक रूप से महत्त्वपूर्ण या ऐतिहासिक स्थान की रक्षा/सुरक्षा करेगा।
- **अनुच्छेद 50:** राज्य, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिये कदम उठाएगा।
- **अनुच्छेद 51:** राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने की घोषणा करता है राज्य प्रयास करेगा कि,
    - राष्ट्रों के साथ उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखें।
    - अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा दे।
    - मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे को प्रोत्साहित करे।

संबंधित संवैधानिक संशोधन क्या हैं?

DPSP में संशोधन के लिये संविधान संशोधन की आवश्यकता है और इसे संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित किया जाना है। स्वतंत्रता के बाद संविधान में कई संशोधन हुए हैं और उनमें से कुछ इन निर्देशों से संबंधित हैं।

- **वर्ष 1976 का 42वाँ संशोधन:** इसने नए निर्देशों को जोड़कर संविधान के भाग 4 में कुछ बदलाव किये, जिसमें शामिल है:
    - **अनुच्छेद 39A:** गरीबों को निशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना
    - **अनुच्छेद 43A:** उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिये
    - **अनुच्छेद 48A:** पर्यावरण की रक्षा और सुधार के प्रयास।
- **वर्ष 1978 का 44वाँ संशोधन:** इसने अनुच्छेद 38 में धारा 2 को सम्मिलित किया जो यह घोषणा करता है कि राज्य विशेष रूप से आय में आर्थिक असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और व्यक्तियों के बीच नहीं बल्कि समूहों के बीच भी स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को समाप्त करेगा।
    - इसने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को भी समाप्त कर दिया।
- **वर्ष 2002 का 86वाँ संशोधन अधिनियम:** इसने अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया और प्राथमिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया।

मौलिक अधिकार और DPSP में क्या अंतर है?

मौलिक अधिकार (FRs) और निर्देशक सिद्धांत दोनों भारतीय संविधान की आवश्यक विशेषताएँ हैं, लेकिन उनके बीच काफी समय से लगातार संघर्ष होता रहा है।

- FRs कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं लेकिन DPSP कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति, यदि उसके FRs का उल्लंघन किया जाता है, हो न्यायालय में अपील कर सकता है लेकिन यदि सरकार निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं करती है तो लोग न्यायालय में अपील नहीं कर सकते हैं ।
- FRs प्रकृति में नकारात्मक या निषेधात्मक हैं क्योंकि वे राज्य पर अंकुश लगाते हैं इसके विपरीत निर्देशक सिद्धांत सकारात्मक हैं क्योंकि वे कुछ सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये राज्य के कर्तव्य की घोषणा करते हैं।
- FRs ने भारत में उदार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की हालांकि निर्देशक सिद्धांत भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं।
- FRs व्यक्ति के हितों की रक्षा करते हैं जबकि DPSP सामाजिक-आर्थिक समानता को बढ़ावा देना चाहता है और विशेष रूप से समाज के कमज़ोर वर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है।

DPSP और FRs से संबंधित विभिन्न निर्णय क्या हैं?

इस बात पर लंबे समय से बहस चल रही है कि FRs और निर्देशक सिद्धांतों के बीच संघर्ष के मामले में संवैधानिक प्रावधानों के दो वर्गों में से किसे प्राथमिकता दी जानी चाहिये। चार अदालती फैसलों की मदद से मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच संबंध को डिकोड किया गया है।

- **चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य (वर्ष 1951):**
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि FRs और निर्देशक सिद्धांतों के बीच किसी भी तरह के विवाद के मामले में, FRs प्रबल होगा। इसने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों को FRs के सहायक के रूप में पालन करना और चलाना है।
  - इसने यह भी फैसला सुनाया कि संवैधानिक संशोधन अधिनियमों को लागू करके मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है।
- **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (वर्ष 1967):**
  - इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिये भी संसद द्वारा FRs में संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (वर्ष 1973):**
  - सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन यह इसकी मूल संरचना को नहीं बदल सकती है इस प्रकार संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया।
- **मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (वर्ष 1980):**
  - इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है लेकिन यह भारतीय संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती है।

DPSP से जुड़े अधिनियम और संशोधन क्या हैं?

- **भूमि सुधार:** लगभग सभी राज्यों ने कृषि प्रधान समाज में परिवर्तन लाने और ग्रामीण जनता की स्थितियों में सुधार के लिये भूमि सुधार कानून पारित किये हैं। इन उपायों में शामिल हैं:
  - ज़मींदारों, जागीरदारों, इनामदारों आदि जैसे बिचौलियों का उन्मूलन
  - किरायेदारी सुधार जैसे कार्यकाल की सुरक्षा, उचित किराए आदि
  - भूमि जोतों पर सीलिंग का अधिरोपण
  - भूमिहीन मज़दूरों के बीच अधिशेष भूमि का वितरण
  - सहकारी खेती
- **श्रम सुधार:** समाज के श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के लिये निम्नलिखित अधिनियम बनाए गए।
  - न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम (वर्ष 1948), मज़दूरी पर संहिता, 2020
  - अनुबंध श्रम विनियमन और उन्मूलन अधिनियम (वर्ष 1970)
  - बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम (वर्ष 1986)
  - वर्ग 2016 में इसका नाम बदलकर बाल और किशोर श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, 1986 कर दिया गया।
  - बंधुआ मज़दूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम (वर्ष 1976)
  - खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957
  - महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिये मातृत्व लाभ अधिनियम (वर्ष 1961) और समान पारिश्रमिक अधिनियम (वर्ष 1976) बनाए गए हैं।
- **पंचायती राज व्यवस्था:** 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्वों को पूरा किया।
  - देश के लगभग सभी भागों में ग्राम, ब्लॉक और ज़िला स्तर पर त्रिस्तरीय 'पंचायती राज व्यवस्था' की शुरुआत की गई।
- **कुटीर उद्योग:** अनुच्छेद 43 के अनुसार कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये, सरकार ने ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, रेशम बोर्ड, कॉयर बोर्ड आदि जैसे कई बोर्ड स्थापित किये हैं, जो कुटीर उद्योगों वित्त और विपणन में आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं।
- **शिक्षा:** सरकार ने अनुच्छेद 45 में दिये गए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित प्रावधानों को लागू किया है।
  - 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तुत और बाद में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 पारित किया गया, प्राथमिक शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया है।
- **ग्रामीण क्षेत्र विकास:** सामुदायिक विकास कार्यक्रम (वर्ष 1952), एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (वर्ष 1978-79) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा- वर्ष 2006) जैसे कार्यक्रम विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिये

शुरू किये गए थे। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 47 में निर्दिष्ट है।

- **स्वास्थ्य:** भारतीय राज्य के सामाजिक क्षेत्र की ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिये प्रधानमंत्री ग्राम स्वास्थ्य योजना (PMGSY) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) जैसी केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएँ लागू की जा रही हैं।
- **पर्यावरण:** वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को क्रमशः वन्यजीवों और जंगलों की सुरक्षा के लिये अधिनियमित किया गया है।
    - जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना के लिये प्रावधान किया है।
- **विरासत संरक्षण:** राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा के लिये प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम (वर्ष 1958) को अधिनियमित किया गया है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQ)

[illegible]

Q1. भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? (वर्ष 2020)

(A) राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
(B) मौलिक अधिकार
(C) प्रस्तावना
(D) सातवीं अनुसूची

उत्तर: (A)

Q2. मौलिक अधिकारों के अलावा, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (वर्ष 1948) के सिद्धांतों और प्रावधानों को दर्शाता है/प्रतिबिंबित करता है? (वर्ष 2020)

1. प्रस्तावना
2. राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत
3. मौलिक कर्तव्य

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

उत्तर: (D)

Q3. भारत के संविधान के भाग IV में निहित प्रावधानों के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (वर्ष 2020)

1. वे न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय होंगे।
2. वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे।
3. इस भाग में निर्धारित सिद्धांत राज्य द्वारा कानूनों के निर्माण को प्रभावित करने के लिये हैं।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) केवल 1 और 3
(D) केवल 2 और 3

उत्तर: (D)

[illegible]

Q1. 'संवैधानिक नैतिकता' संविधान में ही निहित है और इसके आवश्यक पहलुओं पर स्थापित है। प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से 'संवैधानिक नैतिकता' के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। (वर्ष 2021)

Q2. "संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति सीमित शक्ति है और इसे पूर्ण शक्ति में विस्तारित नहीं किया जा सकता है।" इस कथन के आलोक में स्पष्ट कीजिये कि क्या संसद संविधान के अनुच्छेद 368 के अधीन अपनी संशोधन शक्ति का विस्तार कर संविधान के मूल ढाँचे को नष्ट कर सकती है? (वर्ष 2019)

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/special-report-directive-principles-of-state-policy